



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



आदेश संख्या:—SHSB/PM/463/2014/Part-I/...3892

आदेश

औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों के Indent के आवश्यकता-आकलन, सत्यापन एवं युक्तिसंगत निर्धारण हेतु प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर Indent Review Committee के गठन के संबंध में।

राज्य में औषधियों एवं अन्य चिकित्सा सामग्रियों/Consumables, Reagents की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके क्रय एवं आपूर्ति को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप एवं तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर Indent Review & Confirmation Committee (IRCC) का गठन किया जाना आवश्यक है। तीन-स्तरीय व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल स्तर पर Indent तैयार करते समय केवल पूर्व की खपत अथवा उपलब्ध भौतिक स्टॉक को आधार नहीं बनाया जाए, बल्कि वास्तविक Patient Footfall, Available Specialist Services, Seasonal & Regional Disease Prevalence, Present Physical Stock, Procurement Pipeline में उपलब्ध मात्रा तथा आगामी अनुमानित आवश्यकता का समग्र रूप से आकलन किया जाए। इस व्यवस्था के माध्यम से औषधियों की समय पर उपलब्धता, Stock-out की रोकथाम, अनावश्यक Overstock एवं Expiry में कमी, सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण उपयोग तथा रोगियों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

उपर्युक्त के आलोक में Indent Review & Confirmation Committee (IRCC) का गठन तथा कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है।

Indent Review & Confirmation Committee के कार्य एवं Terms of Reference (ToR)

Committee निम्नलिखित आधारों पर Indent का परीक्षण कर वास्तविक एवं युक्तिसंगत आवश्यकता निर्धारित करेगी :-

1. संबंधित अस्पताल हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित EDL के अनुरूप Indent किया जाए।
2. वर्तमान वर्ष की पिछली तिमाही तथा पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के Actual consumption का परीक्षण।
3. Current Physical Stock/Availability का सत्यापन, जिसमें Usable stock, Near-expiry stock अन्य संस्थानों में उपलब्ध Stock तथा लंबित Supply शामिल हो।
4. Procurement Pipeline में उपलब्ध या अपेक्षित मात्रा, जैसे Purchase order, Pending supply, Dispatch, Transit तथा निकट भविष्य में प्राप्त होने वाली आपूर्ति का समायोजन।
5. Patient Footfall, OPD/IPD/Emergency Load तथा उपलब्ध Health Services के आधार पर आवश्यकता का आकलन।
6. Seasonal Variation, Regional Disease Pattern एवं Disease Prevalence का विचार।
7. उपलब्ध Health-care Facilities, Specialist Services नए Health Facilities/Services/Beds तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न Health Programmes एवं Schemes से उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन।
8. औषधि/स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में संभावित OOPE तथा RC/Non-RC स्थिति का विचार।
9. Indents के Duplication, Abnormal Increase, Unjustified Demand अथवा Under estimation की पहचान करना तथा इनके कारणों का परीक्षण और आवश्यक Justification प्राप्त करना।
10. उपलब्ध Stock एवं Procurement Pipeline को समायोजित कर Final Verified Indent निर्धारित करना। Committee केवल Indent endorse नहीं करेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी तथा सुनिश्चित करेगी की अस्पताल में 90 दिनों का Buffer Stock बरकरार रहे।

सुलभ स्वास्थ्य - सुरक्षित जीवन



11. Committee द्वारा निर्धारित अंतिम मात्रा को Final Verified Indent माना जाएगा।
12. Final Verified Indent पर सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित कर उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Higher level पर Upload/Forward किया जाएगा।

BLOCK LEVEL INDENT REVIEW & CONFIRMATION COMMITTEE

समिति का गठन

- | | | |
|--|---|------------------|
| i. Medical Officer-in-Charge (MO/Ic) | — | Chairperson |
| ii. Block Health Manager (BHM) | — | Member Secretary |
| iii. Block Monitoring & Evaluation Assistant | — | Member |
| iv. Pharmacist | — | Member |

समिति का दायित्व

1. उपरोक्त ToR के अधीन Block Level Indent Verification Committee प्राप्त/तैयार Indent का निर्धारित मानकों के आधार पर प्रत्येक माह के 01 से 10 तारीख के बीच नियमित सत्यापन कर वास्तविक आवश्यकता निर्धारित करेगी।
2. कमिटी यह सुनिश्चित करेगी कि EDL में निहित औषधियों का Indent किया जाय। यदि किसी परिस्थिति अथवा अपवाद के रूप में NON-EDL दवायें की आवश्यकता होती है तो कमिटी इसके औचित्य को स्पष्ट रूप से अंकित करेगी।
3. तदोपरांत फार्मासिस्ट द्वारा DVDMS Portal पर Indent किया जाएगा और संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पोर्टल पर Indent को अनुमोदित किया जाएगा।

DISTRICT LEVEL INDENT REVIEW & CONFIRMATION COMMITTEE

समिति का गठन

- | | | |
|---|---|------------------|
| i. Civil Surgeon | — | Chairperson |
| ii. Medical Officer-in-Charge (MO/Ic), District Store | — | Member |
| iii. District Programme Manager (DPM) | — | Member Secretary |
| iv. District Monitoring & Evaluation Officer (D&MEO) | — | Member |
| v. Pharmacist | — | Member |

समिति का दायित्व

1. उपरोक्त ToR के अधीन District Level Indent Review & Confirmation Committee प्रखंड स्तरीय Committees द्वारा Verified Indents का परीक्षण एवं consolidation करेगी, आवश्यकता होने पर पुनः सत्यापन करेगी और जिला स्तर की समेकित आवश्यकता निर्धारित करेगी।
2. District Level Indent Review & Confirmation Committee की बैठक प्रत्येक माह के 11 से 15 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से की जाए।
3. जिला स्तरीय कमिटी पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि (तिमाही) के उपभोग की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत से अधिक की अधियाचना (Indent) में असमान्य वृद्धि को चिन्हित कर समीक्षा करेगी।
4. कमिटी यह सुनिश्चित करेगी कि EDL में निहित औषधियों का Indent किया जाय। यदि किसी परिस्थिति अथवा अपवाद के रूप में NON-EDL दवायें की आवश्यकता होती है तो कमिटी इसके औचित्य को स्पष्ट रूप से अंकित करेगी।
5. तदोपरांत जिला औषधि भंडार के फार्मासिस्ट द्वारा DVDMS Portal पर Indent किया जाएगा और असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पोर्टल पर Indent को अनुमोदित किया जाएगा।



अनिवार्य CERTIFICATION

उपर्युक्त प्रखंड एवं जिला स्तर पर Final Verified Indent के साथ निम्न Certification दिया जाना है :—

"प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त Indent का Committee द्वारा वास्तविक Consumption, वर्तमान Physical Stock/Availability, Procurement Pipeline में उपलब्ध मात्रा, Patient Footfall, Seasonal Variation, Disease Pattern एवं Disease Prevalence, उपलब्ध Health Services, Specialist Services, Government Health Programmes तथा अन्य प्रासंगिक आवश्यकता निर्धारण मानकों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन किया गया है और उपलब्ध Stock एवं Pipeline Supply को समायोजित किया गया है।"

STATE LEVEL INDENT REVIEW COMMITTEE

समिति का गठन

- Managing Director, BMSICL अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
- Executive Director, SHSB अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
- CGM (Supply Chain), BMSICL
- Administrative Officer-cum-I/c (Procurement), SHSB — Convenor
- GM (Procurement), BMSICL

समिति का दायित्व

- उपरोक्त ToR के अधीन State Level Indent Review Committee प्रत्येक Indent का नियमित समीक्षा नहीं करेगी, बल्कि Sample basis पर समय-समय पर Block एवं District level की प्रक्रिया, गुणवत्ता, Uniformity, Accuracy एवं Accountability की समीक्षा करेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित Committee से Clarification या Revised Assessment प्राप्त किया जा सकेगा।
- राज्य स्तरीय Sample Review का उद्देश्य नियमित सत्यापन का स्थान लेना नहीं, बल्कि निचले स्तर (प्रखंड एवं जिला) की व्यवस्था की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
- State Level Indent Review Committee की बैठक प्रत्येक माह के 15 से 20 तारीख के बीच आयोजित की जाएगी।

अभिलेख एवं उत्तरदायित्व

- प्रत्येक Committee के Member Secretary द्वारा Indent Verification के आधारभूत सभी आंकड़े एवं अभिलेख उपलब्ध रखे जाएंगे।
- आवश्यकता पड़ने पर निम्न अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे :—
 - Consumption Statement
 - Current Stock Statement
 - Issue/Receipt Details
 - Pending Supply Details
 - Procurement Pipeline
 - Patient Footfall Data
 - Programme-wise Requirement
 - RC/Non-RC Status
 - Abnormal Increase/Decrease का Justification



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



—4—

3. Chairperson एवं Member Secretary यह सुनिश्चित करेंगे कि Indent Review केवल औपचारिक अथवा कागजी प्रक्रिया न होकर उपलब्ध आंकड़ों, वास्तविक Stock Position एवं Ground-level Requirement के समुचित परीक्षण के आधार पर की जाए।
4. Indent Review स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित नियमित Indent Cycle के अनुसार किया जाएगा।
5. प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय Indent Review & Confirmation Committee (IRCC) का यह दायित्व है कि जिलान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों से त्रुटिरहित अधियाचना (Indent) किया जाए। औषधियों एवं अन्य सामग्रियों आदि के लिए BMSICL को असामान्य, त्रुटिपूर्ण एवं अनुचित अधियाचना (Indent) भेजने के लिए प्रखंड एवं जिलास्तरीय कमिटी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे।

यह आदेश तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा। उक्त आदेश का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अमित कुमार पाण्डेय)

कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(सुब्रत कुमार सेन)

प्रबंध निदेशक

बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम

ज्ञापांक: 3892 पटना, दिनांक : 23/09/2026।

प्रतिलिपि:-

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) BMSICL/प्रशासी पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार